[15/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 2518]

परिशिष्ट - अ

प्रश्न क्र 2518

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भू-तल, विकास भवन, पुरानी जले के सामने, अरेरा हिल्स, भोपाल
Telephon No.0755-2557727,Fax No.0755-2552899, E-mail adress: dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा./एफ-1- 5424 /2024/ 5758 भोपाल, दिनांक 20.5.2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत- समस्त, म0प्र0।

विषयः- **ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण सत्यापन कराये जाने बाबत।**

संदर्भ:- **संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल म.प्र. का पत्र पृष्ठांकन क्र 1159/एल.एफ.ए.बी/वे.निर्धा./ भोपाल दिनांक 09.05.2024**

-0-

पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक 24138 दिनांक 13.09.2023 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के सातवां वेतनमान का आदेश समस्त जिला पंचायत को जारी किया गया है। संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल म.प्र. का पत्र पृष्ठांक क्र० 1159 /एल.एफ.ए.बी/वे.निर्धा./ भोपाल दिनांक 09.05.2024 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण सत्यापन कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

अतएवं अपने जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण/सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(मनोज पुष्प)
संचालक सह-आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, म0प्र0

पृ0क्रमांक/पं.रा./एफ-1-5424/2024/ 5759 भोपाल, दिनांक 20.5.2024

प्रतिलिपि

1. संभागायुक्त समस्त संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ ।
3. संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा समस्त संभाग म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर उक्तानुसार अपने संबंधित जिले को कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करें।

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

संचालक सह-आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय, म0प्र0

संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल म.प्र.

26 किसान भवन, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल फोन 0755–2573340

क्रमांक / एल.एफ.ए.बी. / वे.निर्धा. /

भोपाल, दिनांक

पत्र आवक क्र. 1512 दिनांक 13/5/24

शाखा प्रभारी / शाखा का नाम A.D.P

संचालक सह आयुक्त

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत भोपाल / नर्मदापुरम / बैतूल / रायसेन / हरदा / राजगढ / सीहोर / विदिशा।

विषयः– **ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण सत्यापन कराये जाने बावत्।**

संदर्भः– **01– म0प्र0 वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक 924 / 1177 / 2017 / ई / चार भोपाल दिनांक 07.04.2017**

02– पंचायत राज संचानालय का आदेश क्रमांक / पंचा.राज. / एफ–1–5077 / 2023 / 24138 भोपाल दिनांक 13.09.2023

03– क्षेत्रीय कार्या. स्था.नि.संपरीक्षा भोपाल का पत्र क्रमांक 5029 भोपाल दिनांक 18.01.2024

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण का अनुमोदन स्थानीय निधि संपरीक्षा से कराये जाने हेतु शासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है एवं संदर्भित पत्र कमांक 02 से पंचायत राज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान का लाभ प्रदान करने के साथ–साथ 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत (5200–20200+2400 ग्रेड–पे) दिये जाने के आदेश भी प्रसारित किये जा चुके है।

पंचायत संपरीक्षा में संलग्न संपरीक्षको द्वारा ध्यानाकर्षण में लाया गया है कि पंचायत सचिवों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल से अनुमोदन कराये बिना ही सातवां वेतनमान का लाभ लिया जा रहा है जिससे अनियमित भुगतान की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त स्थिति में समस्त ग्राम पंचायत सचिवों का नियमानुसार वेतन निर्धारण कर सत्यापन शीघ्र ही कराया जाना चाहिये।

संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के द्वारा पूर्व में भी उक्त के संबंध में अवगत कराया गया, किन्तु आज दिनांक तक कोई भी प्रकरण सत्यापन हेतु प्रेषित नही किये गये है।

अतः समस्त ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण का सत्यापन कराये जाने हेतु निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(आर.के.सोनी)
संयुक्त संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
संभाग भोपाल, नर्मदापुरम

क्रमांक / एल.एफ.ए.बी. / वे.निर्धा. / 1159, भोपाल, दिनांक 09/5/24

प्रतिलिपिः–

संचालक, पंचायत राज संचालनालय भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण के सत्यापन कराये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

(आर.के.सोनी)
संयुक्त संचालक
स्थानीय निधि संपरीक्षा
संभाग भोपाल, नर्मदापुरम